



प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

30प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11**लखनऊ : दिनांक 30-07-2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के चालू कार्यों के सापेक्ष धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-23812/CE-HQ1/RV(MDOD)/PRJ/2026-27, दिनांक 20-07-2026, पत्र संख्या-23977/CE-HQ1/RV(MDOD)/LKO/2026-27, दिनांक 24-07-2026, पत्र संख्या-23979/CE-HQ1/RV(MDOD)/PRJ/2026-27, दिनांक 24-07-2026 एवं पत्र संख्या-23978/CE-HQ1/RV(MDOD)/VNS/2026-27, दिनांक 24-07-2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य/प्रमुख, अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण योजनान्तर्गत स्वीकृत 05 चालू कार्यों पर अधोलिखित विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹0 3476.83 लाख (रूपये चौंतीस करोड़ छिहत्तर लाख तिरासी हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत/ प्रावैधिक/ बचत/बचत उपरान्त की लागत	अब तक आवंटन	प्रस्तावित आवंटन		
					अनु0 सं0-58	अनु0 सं0-83	योग
1	नि0ख0-2 फतेहपुर	जनपद फतेहपुर में डिघरूवा गौरा बाजार हरिजनपुर (अ0जि0मा0) मार्ग (लम्बाई 8.00 कि0मी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	1508.77 1508.77 183.95 1324.82	196.63	393.95	106.05	500.00
2	प्रा0 ख0 हरदोई	जनपद हरदोई में कोथावां माल मार्ग (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 32.400 कि0मी0)।	6487.69 6352.37 0.00 6352.37	1697.53	236.37	63.63	300.00
3	नि0ख0-1 हरदोई	जनपद हरदोई में टपुआ नोनखारा कुसुमखोर मार्ग (अ0जि0मा0) के चैनेज 0.00 से चैनेज 12.200 तक एवं चैनेज 14.00 से चैनेज 17.150 तक के चौड़ीकरण कार्य (ल0-15.350 किमी0)।	3721.89 3721.89 57.720 3664.17	1182.66	393.95	106.05	500.00
4	प्रा0ख0 वाराणसी	जनपद वाराणसी में कालीमाता मन्दिर से आवास विकास कालोनी होते हुए वाराणसी आजमगढ़ रोड तक मार्ग(अ0जि0मा0शहरी भाग) के 2.40 किमी0 में 02 लेन एवं 4.10 किमी0 में (पाण्डेयपुर चौराहे से रिंग रोड तक)	27743.25 27743.25 125.00 27618.25	26356.08	994.46	267.71	1262.17

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।(ल0-6.500 किमी0)					
5	प्रा0ख0 फतेहपुर	जनपद फतेहपुर में प्राचीन मुगल रोड महर्षि स्कूल कोराई होते हुए फतेहपुर बिन्दकी मार्ग तक(पण्डित गयादीन मार्ग) के चैनेज 0.000 से 10.000 तक (लम्बाई 10.000 किमी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य।	1888.57 1850.51 21.18 1829.33	451.57	720.66	194.00	914.66
		योग:-			2739.39	737.44	3476.83

नियम व शर्त/प्रतिबन्धों

- (1) प्रश्नगत चालू कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।
 - (2) उपरोक्त तालिका के क्रमांक-1,2,3 व 5 में अंकित कार्यो हेतु धनराशि इस शर्त के अधीन अवमुक्त की जा रही है कि प्रश्नगत कार्यो हेतु अगली/अनुवर्ती किश्त की धनराशि की मांग इन कार्यो के मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक आदेशो मे उल्लिखित वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17-05-2023 में निहित व्यवस्था सम्बन्धी शर्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जाय।
 - (3) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यो के संपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।
 - (4) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्ध का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (5) उक्त कार्य केवल अनुमोदित/पुनरीक्षित सीमा तथा प्रचलित वित्तीय नियमों के अनुसार ही सम्पन्न किया जाय। उपयोगिता प्रमाण-पत्र ससमय प्रस्तुत करने की पूरी जिम्मेदारी कार्यान्वयन इकाई की होगी।
 - (6) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (7) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28-03-2026 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय (1) रू0 27,39,39,000 (रूपये सत्ताईस करोड़ उन्तालिस लाख उन्तालिस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 5054043371323 राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(राज्य सेक्टर) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रू0 07,37,44,000 (रू0 सात करोड़ सैंतीस लाख चौव्वालिस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891300 राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के कार्यों हेतु मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28-03-2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)

उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
- 2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
- 6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
- 12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
- 13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
- 15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।